



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ

विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

दूरभाष: 0141-2227481 फ़ैक्स: 2227602 टोल फ्री हेल्पलाइन: 15100/9928900900

ई-मेल: rsjsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in वेबसाइट: www.rajasthan.nalsa.gov.in

क्रमांक:एफ-9(333)/स्टोर/वाहन/2026-27/15501

दिनांक: 11.06.2026

कोटेशन के लिए अनुरोध - 02/2026-27

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा विधिक सेवा के प्रचार-प्रसार एवं विधिक सेवा कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नवीन 5 राजकीय वाहन (Maruti XL6 SMART HYBRID ZETA 1.5 MT) क्रय किये गये हैं। उक्त वाहनों में आवश्यक एसेसरीज लगवाये जाने हेतु इस क्षेत्र की फर्म/डीलर/विक्रेताओं से दरें प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार कोटेशन आमंत्रित की जाती है:-

क्र.सं.	सामग्री का विवरण	दर राशि रूपये में (सभी कर सहित)
1	मंदिर	
2	पलोरिंग मेट	
3	विंडो कर्टन रोलर	
4	नेम प्लेट	
5	पीछे बम्बर	
6	मेटिन्ना GFX	
Total		

कोटेशन के लिए अनुरोध दिनांक 13.06.2026 को प्रातः 11.00 बजे तक बन्द लिफाफों में स्वीकार किये जायेंगे, इसके पश्चात् प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जावेगा। निर्धारित समय तक प्राप्त कोटेशन उसी तिथि को दोपहर 12:00 बजे अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय चैम्बर में विभागीय उपापन समिति के समक्ष एवं उपस्थित कोटेशन दाताओं के समक्ष खोले जावेंगे। इस कार्य पर लगभग 87000/- रूपये व्यय होना सम्भावित है।

कोटेशन के लिए अनुरोध की शर्तें:-

1. उक्त सभी सामग्री फर्म के प्रशिक्षित सर्विस मैकेनिकों द्वारा ही किया जावेगा।
2. फर्म द्वारा कोटेशन प्रेषित करने से पूर्व, कार्यालय समय में कार्य/वाहन का निरीक्षण किया जा सकता है।
3. वाहन में उक्त सभी सामग्री कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित वाहनों में निर्देशानुसार संस्थापित करनी होगी।
4. वाहन में लगाये जाने वाली सामग्री/आईटम्स के सैम्पल उपापन समिति द्वारा अनुमोदित कराने के पश्चात् ही वाहन में लगाने होंगे।
5. वाहन में संस्थापित की जाने वाली सामग्री सारणी में अंकित विवरण के अनुसार व उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिये।
6. कोटेशन में प्रेषित दरों के अलावा जी.एस.टी., सर्विस चार्ज एवं अन्य किसी भी प्रकार का चार्ज देय हो तो कोटेशन में अलग से अंकित करें।
7. उक्त सामग्री वाहन में लगाये जाने के दौरान वाहन में कोई क्षति होती है, तो इसके लिए फर्म/डीलर/विक्रेता स्वयं उत्तरदायी होगा, जिसकी उसे क्षतिपूर्ति/भूगतान अपने स्तर पर करना होगा।
8. कार्य संतोषप्रद होने पर ही भूगतान देय होगा।
9. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के अलावा अन्य कोई भी शर्तें स्वीकार नहीं होंगी।
10. किसी भी विवाद की स्थिति में सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
11. उक्त शर्तों के अतिरिक्त RTPP नियम 2013 की शर्तें भी लागू होंगी।

निदेशक

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ

विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

दूरभाष: 0141-2227481 फ़ैक्स: 2227602 टोल फ्री हेल्पलाइन: 15100/9928900900


ई-मेल: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in वेबसाईट: www.rajasthan.nalsa.gov.in

क्रमांक:एफ-9(333)/स्टोर/वाहन/2026-27/15502-505

दिनांक: 11.06.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा/राज. उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।
2. नोडल अधिकारी को विभागीय वेबसाईट/SPPP पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
3. मैसर्स
4. सम्बंधित/रक्षित पत्रावली।


उप सचिव-प्रथम
(स्टोर प्रभारी)

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर